जे एंड के नेशनल पैंथर्स पार्टी

बनाम

भारत संघ और अन्य

सिविल अपील संख्या 9599 ऑफ 2010

09 नवंबर 2010

(जी.एस. सिंघवी और अशोक कुमार गांगुली जे जे)

चुनाव कानूनः

जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमए 1957 . धारा 3 . परिसीमन आयोग का गठन . विधान सभा से संबंधित राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़ों के प्रकाशन तकए स्थगित करना.संवहनीयता.अभिनिर्धारित किया. वोट डालने का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है लेकिन ऐतिहासिक कारणों के आधार पर वैधानिक और संवैधानिक व्यवस्था की अवहेलना करते हुए परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से किसी के मतदान अधिकार के समान मूल्य की मांग करनाए न्यायसंगत नहीं है. परिसीमन कानून को दी जाने वाली किसी भी चुनौती के लिए यह स्पष्ट संवैधानिक बाधा है. जम्मू.कश्मीर संविधान के संशोधन

से भारतीय संविधान की मूल संरचना का हनन नहीं होता है. जम्मू.कश्मीर संविधानए 1957 . की धाराएं 47;3द्ध और 142 तथा भारतीय संविधानए 1950 के अनुच्छेद 327 और 329ए।

जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमए 1957 की धारा 3 में संशोधन किया गया। इसमें वर्ष 2026 के बाद हुई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने तक परिसीमन को स्थगित करने की मांग की गई थी। जम्मू और कश्मीर के संविधानए 1957 की धारा 47 की उप.धारा 3 में एक संबंधित संशोधन भी किया गया था। अपीलकर्ताओं ने चुनौती दी कि उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को 2026 तक स्थगित कर दिया जाए। उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य को एकल सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने के उद्देश्य से परिसीमन संविधान में विचारित लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता हो सकती है । आगे भी प्रत्येक के पूरा होने पर ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और सीमाओं का पुनः समायोजन किया जा सकता है। जनगणना न तो संविधान का अधिदेश थाए न ही भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र का सार था।

न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया किः

1.1 वोट डालने का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है,लेकिन ऐतिहासिक कारणों के आधार पर वैधानिक और संवैधानिक व्यवस्था की

अवहेलना करते हुए परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से किसी के मतदान अधिकार के समान मूल्य की मांग करनाए न्यायसंगत नहीं है।(;पैरा 25) ; 518.ए.बी)

1.2 भारत के संविधानए 1950 का अनुच्छेद 327 ए संसद को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 329 ए का अधिदेश यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। जम्मू.कश्मीर के संविधान की धारा 142 में समान प्रावधान किए गए हैं। इसलिएए संवैधानिक प्रावधानों के तहत बनाए गए परिसीमन कानून को किसी भी तरह की चुनौती देने पर स्पष्ट संवैधानिक रोक है। उक्त कार्यवाही में अपीलकर्ता की महत्वपूर्ण चुनौती पर इस न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।;(पैरा 26 और 27);519.बीजी)

1.3 यह दलील कि जम्मू.कश्मीर के संविधान की धारा 47;3 द्ध के संशोधन से संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होता हैए एक ठोस सिद्धांत पर आधारित नहीं होने से खारिज की जाती है। मूल संरचना क्या हैए इसकी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए। यह परिभाषित करना कठिन है कि संविधान की मूल संरचना क्या हैए क्योंकि जो मूल हैए वह आने वाले समय में स्थिर नहीं रहती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक मूल विशेषता

है। लेकिन वोटों के मूल्य में एकरूपता सुनिश्चित करनाए सांविधानिक व्यवस्था के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है।(पैरा 27,29,30,31) (518.जी 519.डी 520.जी.एच 521.ए)

आर सी पौडयाल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ; 1994 सप्लीमेंट 1 एससीसी 324. में अनुसरण किया गया।

केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य व अन्य।(1973) 4 सीसी 225.संदर्भित।

चार्ल्स डब्ल्यू बेकर बनाम जो सी कैर 369 यूएस 186 य बीए रेनोल्ड्स आदि बनाम एम ओ सिम्स 377 यूएस 533 संदर्भित।

भारत का संक्षिप्त संविधान डीडी बसु द्वारा 14 वां संस्करण : संदर्भित।

संदर्भित केस कानून.

369 यूएस 186	में संदर्भित	पैरा 15
377 यूएस 533	में संदर्भित	पैरा 18
1994 अनुपूरक 1 एससीसी 324	पालन किया	पैरा 25,31
19734 एससीसी 225	में संदर्भित	पैरा 28

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 2010 की 9599

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के जम्मू रिट याचिका पीआईएल 2007 के 24 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 02.06.2009 से।

अपीलकर्ता की ओर से प्रोफेसर भीम सिंहए सतीश विग।

एम.आई. कादरी, एजी, गौरव पचंदा, एएजी, मीनाक्षी अरोड़ा उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय का निर्णय जे गांगुली द्वारा सुनाया गया

1. अनुमति दी गयी।

जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी बनाम भारत संघ और अन्य। अशोक कुमार गांगुली जे

2. जम्मू और कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टीए जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैए ने 2 जून 2009 के जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष यह अपील दायर की है। उच्च न्यायालय ने दोनों रिट याचिकाएं खारिज कर दीए जिनमें समान प्रश्न उठाए गए थे। उन्हें एक साथ सुना गया और आक्षेपित निर्णय द्वारा निपटारा किया गया।

3. उच्च न्यायालय के साथ.साथ इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का मुख्य आधार निम्नलिखित प्रश्न है कि क्या. वर्ष 2026 के बाद की गयी प्रथम जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन तक विधानसभा से संबंधित राज्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमा को स्थगित करने की सरकार की कार्यवाही मान्य है या नहींघ्

4. वास्तव में अपीलकर्ता जम्मू.कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 ए में संशोधन से व्यथित हैए विशेषकर उसकी धारा 3 के संशोधन से यह संशोधन 2002 में लाया गया है। समय.समय पर संशोधित जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 की धारा 3 नीचे दी गई हैः.

"3 परिसीमन आयोग का गठन

1. प्रत्येक के पूरा होने के बाद जितनी जल्दी हो सके जनगणना} के लिए सरकार एक आयोग का गठन करेगी परिसीमन आयोग कहा जाएगा जिसमें शामिल होगा तीन सदस्यों में से निम्नानुसार:

(a) दो सदस्य, जिनमें से प्रत्येक एक व्यक्ति होगा उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है भारत में न्यायालय

(b) मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नामित एक उप चुनाव आयुक्त।

बशर्ते कि जब तक वर्ष 2026 के बाद हुई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक इस उपधारा के तहत् राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का निर्धारण करने के लिए आयोग का गठन करना आवश्यक नहीं होगा

2. राज्यपाल उपधारा ;1के खंड (1) के तहत नियुक्त सदस्यों में से एक को परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित करेंगे।

3. परिसीमन आयोग राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का निर्धारण करेगा।

5. जम्मू.कश्मीर संविधानए 1957;इसके बाद इसे जम्मू.कश्मीर संविधान के रूप में इंगित किया जाएगाद्ध की धारा 47 की उप.धारा 3 में भी एक समान संशोधन किया गया है। संशोधित धारा 47(3)नीचे दी गई हैः.

"47(3)प्रत्येक जनगणना के पूरा होने परए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्याए सीमा और सीमाओं को ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे तरीके से पुनरू समायोजित किया

जाएगा जैसा विधानमंडल कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है।

बशर्ते कि इस तरह का पुनर्समायोजन तत्कालीन मौजूदा विधानसभा के विघटन तक विधान सभा में प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगाए क्बशर्ते कि जब तक वर्ष 2026 के बाद ली गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जातेए तब तक राज्य की विधान सभा में सीटों की कुल संख्या और इस उपधारा के तहत राज्य का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को फिर से समायोजित करना आवश्यक नहीं होगा।

6. अपीलकर्ता की मुख्य शिकायत यह प्रतीत होती है कि उपरोक्त संशोधनों के परिणामस्वरूप निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को स्थगित करने के मद्देनजरए जनगणना कार्य किए जाने के बावजूद विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना के मामले में बढ़ता असंतुलन जारी रहेगा। इस न्यायालय के समक्ष यह भी तर्क दिया गया है कि आम तौर पर परिसीमन अभ्यास जनगणना ऑपरेशन के परिणामस्वरूप होता है। जनगणना कार्य के परिणामस्वरूप जनसंख्या की संरचना परिलक्षित होती है। यह लोकतांत्रिक राजनीति में लोगों के अधिकारों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए परिसीमन की कवायद को जन्म देता है। आगे तर्क यह है कि परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों की संरचना में इन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को

उचित रूप से प्रतिबिंबित किए बिनाए चुनाव में लोकतंत्र का सार पराजित हो जाएगाए इसलिए अपीलकर्ता का आग्रह है कि तत्काल परिसीमन प्रक्रिया के बिना जनगणना कार्य पूरा होने परए जम्मू.कश्मीर राज्य में चुनाव लोकतंत्र की सच्ची आवाज को प्रतिबिंबित नहीं करेगा और इसलिएए लोकप्रिय दृष्टिकोण का गला घोंट दिया जाएगा और उसे उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा।

7. इस मामले में हमारा किसी तथ्यात्मक विवाद से ज्यादा सरोकार नहीं है। इस मामले में न्यायालय को प्रासंगिक कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में अपीलकर्ता के विवाद की सत्यता या अन्यथा का निर्णय लेना है।

8. माना कि जम्मू.कश्मीर राज्य में जनगणना का कार्य 2001 में पूरा हो गया थाए लेकिन परिसीमन 1995 में किया गया था।

9. वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर राज्य में 87 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें से 46 कश्मीर घाटी मेंए 37 जम्मू में और 4 लद्दाख क्षेत्र में हैं। जम्मू.कश्मीर के संविधान की धारा 47;1द्ध के तहतए यह प्रावधान है कि विधान सभा में 111 सदस्य होंगेए जो राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने जाएंगे। जम्मू.कश्मीर के संविधान की धारा 47 के प्रावधान के तहतए यह प्रावधान है कि यदि राज्यपाल की राय है कि विधानसभा में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हैए तो वह दो से

अधिक महिला सदस्यों को नामांकित नहीं कर सकते हैं। हालांकिए संविधान की धारा 48 में यह प्रावधान है कि जब तक राज्य का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में हैए उस पर कब्जा समाप्त नहीं हो जाता और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं कर लेतेए तब तक विधान सभा की वे 24 सीटें बनी रहेंगी। पाकिस्तान अधिगृहीत कश्मीर के लिए रिक्त और विधानसभा की कुल सदस्यता की गणना के लिए इसे ध्यान में नहीं रखा जाएगा। राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में उक्त क्षेत्र को बाहर रखा जाएगा।

10. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलए प्रोफेसर भीम सिंह ने कहा कि जम्मू में 37 निर्वाचन क्षेत्रों में से कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं जबकि कश्मीर घाटी में 46 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है। अगर जनगणना ऑपरेशन का ठीक से अध्ययन किया जाएए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि जनगणना ऑपरेशन के आधार पर परिसीमन की कवायद की गई होतीए तो कश्मीर घाटी के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया होता। इसलिएए विवादित संशोधन अनुचितए अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है क्योंकि यह 2026 के बाद जनगणना परिणामों की घोषणा तक परिसीमन अभ्यास को स्थगित करना चाहता है।

11. उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका में जम्मू.कश्मीर के संविधान में हुए संशोधन को कोई ठोस चुनौती नहीं दी गई है। रिट याचिका के पैराग्राफ 16 मेंए बहुत अस्पष्ट रूप से यह चुनौती दी गई है और जो नीचे वर्णित है.

> "16 यदि 2026 तक कोई परिसीमन आयोग गठित नहीं किया जाता हैए तो इसका मतलब यह होगा कि 2031 में जनगणना तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का कोई रोटेशन नहीं होगा। इसका मतलब यह होगा कि आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का 1996 से 2031 तक यानी 35 वर्षों तक रोटेशन नहीं किया जाएगा। आरक्षित सीटें नहीं बदली जाएंगी। यह कानून के शासनए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निश्चित रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत न्याय और समानता से इनकार का एक अनोखा उदाहरण है। यह अधिनियम अन्य प्रावधानों के साथ.साथ जम्मू एवं कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 47 की भावना का भी उल्लंघन करता है।

12. रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं में से प्रार्थना ष्बीष् और ष्सीष् निष्फल हो गई हैं। प्रार्थना ष्डीष् का संबंध जम्मू.कश्मीर संविधान की

धारा 47 से हैए लेकिन हम जम्मू.कश्मीर के संविधान की धारा 47 के संशोधन को चुनौती देने वाली पर्याप्त दलील नहीं पाते है।

13. प्रोफेसर भीम सिंह ने निवेदन किया कि वह जम्मू और कश्मीर के लगभग 10ए143ए700 लोगों ;2001 की जनगणना के अनुसारद्ध की ओर से इस मामले पर बहस कर रहे है। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू.कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया और 26 जनवरी 1957 को जम्मू.कश्मीर संविधान अपनाया गया। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के मद्देनजर जम्मू.कश्मीर राज्य को स्वायत्तता प्रदान की गई है। विद्वान वकील ने बार.बार इस सवाल को उठाया कि उपरोक्त संशोधन के परिणामस्वरूप जनगणना के पूरा होने के तुरंत बाद परिसीमन अभ्यास नहीं करना असंवैधानिक है। वास्तव मेंए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जम्मू.कश्मीर संविधान में उक्त संशोधन स्वयं भारत के संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन थाए जैसा कि जम्मू.कश्मीर राज्य पर लागू होता हैए साथ ही जम्मू.कश्मीर के संविधान पर भी। जम्मू और कश्मीर

14. अपीलकर्ता;उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताद्ध के उपरोक्त तर्कों से निपटते हुएए उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने अन्य बातों के साथ.साथ यह माना कि राज्य को एकल सदस्य क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित करने के उद्देश्य से परिसीमन शायद एक मूल विशेषता हो सकती

है। संविधान में लोकतंत्र पर विचार किया गया। हालांकिए उच्च न्यायालय ने राय दी कि प्रत्येक जनगणना के पूरा होने पर ऐसे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और सीमाओं का पुनः समायोजन न तो संविधान का आदेश थाए न ही भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र का सार था।

15. उच्च न्यायालय ने 369 यूएस 186 में रिपोर्ट किए गए चार्ल्स डब्लू बेकर बनाम जो सी कैर के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार किया। इस निर्णय मेंए वादी जो वोट देने के हकदार थे टेनेसी विधायिका के सदस्यों का चुनाव करने के लिए एक घोषणा के लिए एक वर्ग कार्रवाई दायर की गई कि 1901 का टेनेसी विभाजन अधिनियम असंवैधानिक था क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 14 वें संशोधन का उल्लंघन करता था। यह आरोप लगाया गया था कि लागू अधिनियम में जनता के सदस्यों को उनके मतदान के अधिकार के संबंध में प्रतिनिधित्व में भारी असमानता लाने की कोशिश की गई थी। इस प्रकारए अधिनियम ने वादी को संवैधानिक रूप से अनुचित समानता की स्थिति में डाल दिया। प्रारंभ में जिला न्यायालयए जहां मामला दायर किया गया थाए ने माना कि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव है। इसके बादए अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को उलट दिया और मामले को अन्य बातों के साथ.साथ यह कहते हुए जिला न्यायालय को भेज दिया कि इस मामले में

जिला न्यायालय का क्षेत्राधिकार है और यह भी माना गया कि वादी के पास टेनेसी विभाजन अधिनियम को चुनौती देने का अधिकार है।

16. हालांकि न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर और न्यायमूर्ति हार्लन ने असहमति जताई और अभिनिर्धारित किया कि विवाद की प्रकृति संघीय न्यायायिक कार्रवाई के लिए अनुपयुक्त हैए और मौजूदा विभाजन इतना अनुचित नहीं था कि वह समान सुरक्षा खंड का उल्लंघन करता हो। हालांकिए उस मामले में बहुमत की राय प्रत्येक मतदाता की आवाज़ में लगभग समानता के सिद्धांत पर आधारित थी।

17. यहां दिए गए फैसले में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हमारे संविधान ने संविधान के कई अन्य प्रावधानों के मद्देनजर वोट के मूल्य में समानता पर कभी विचार नहीं किया है। फैसले का समर्थन करते हुएए भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने इस न्यायालय का ध्यान भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधानोंए अर्थात् अनुच्छेद 81ए 82 और 170 की ओर आकर्षित किया। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने इस न्यायालय की संविधान पीठ के एक निर्णय का भी उल्लेख किया। और अन्य में 1994 अनुपूरक 1 एससीसी 324ए जिसमें इस न्यायालय ने राज्य में मूल के सिक्किमियों के लिए 12 सीटों के आरक्षण से निपटने के दौरान अनुच्छेद 170(2)की जांच की। उस मामले में उठाए गए मुख्य प्रश्नों में से एक इस प्रकार है. क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 7(1)

और धारा 25 जैसा कि चुनाव कानून सिक्किम तक विस्तार अधिनियम 1976 और लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1980 द्वारा सम्मिलित किया गया है,ए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 5.ए;2 जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व;संशोधन अधिनियमए 1980 द्वारा सम्मिलित किया गया, में भूटिया.लेपचाओं के पक्ष में सिक्किम विधान सभा की 32 सीटों में से 12 सीटों के आरक्षण का प्रावधान करना भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र और गणतंत्रवाद की बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक हैं (रिपोर्ट का पैरा 85 ए पृष्ठ 373)

18. उक्त मुद्दे पर निर्णय लेते समय, इस न्यायालय ने विचार किया संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार करें चार्ल्स डब्ल्यू बेकर [सुप्रा], और बी. ए. रेनॉल्ड्स आदि में राज्य।बनाम एम. 0. सिम्स - 377 यूएस 533.

19. इस न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश अर्ल वारेन की राय पर भरोसा किया। रेनोल्ड्स ;(सुप्रा)। रिपोर्ट के पृष्ठ 536 पर विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रकार कहा. एहसास है कि विधायी जिलों की व्यवस्था करना एक व्यावहारिक असंभवता है ताकि प्रत्येक में निवासियों या नागरिकों या मतदाताओं की समान संख्या हो। गणितीय सटीकता या परिशुद्धता शायद ही एक व्यावहारिक संवैधानिक आवश्यकता है।

20. विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने अपनी राय के समर्थन में ऐतिहासिक कारकों पर भी भरोसा किया और कहा,इतिहास इंगित करता है हालांकि कई राज्य अपने विधायिका के कम से कम एक सदन में सीटों के बंटवारे में जनसंख्या सिद्धांत से अधिक या कम डिग्री तक विचलित हो गए हैं। जब तक सख्त जनसंख्या मानक से विचलन होता है तर्कसंगत राज्य नीति के कार्यान्वयन के लिए वैध विचारों पर आधारित हैंए द्विसदनीय राज्य विधायिका के दोनों सदनों में से किसी एक या दोनों में सीटों के बंटवारे के संबंध में समान जनसंख्या सिद्धांत से कुछ विचलन संवैधानिक रूप से स्वीकार्य हैं।रिपोर्ट का पृष्ठ 537

21. उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करने और ऑस्ट्रेलियाई संविधान में स्थिति का अवलोकन करने के बादए इस न्यायालय की बहुमत की राय न्यायमूर्ति वेंकटचलैया;जैसा कि तब उनकी लॉर्डशीप थीद्ध से प्रभावित है। सिद्धांतों के उल्लेखनीय रूप से विद्वतापूर्ण सूत्रीकरण द्वारा उनकी लॉर्डशीप ने कहा.

> "यह सच है कि मतदान का अधिकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी के अधिकार के लिए केंद्रीय है। हालांकि मतदान क्षेत्र में न्यायिक सक्रियता के औचित्य पर सिद्धांतकारों के बीच आम सहमति कम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत् परिसीमन कानून बनाए गए हैंए जो उनकी

वैधता के न्यायिक परीक्षण से मुक्त है और संविधान के अनुच्छेद 329 ;ए के आधार पर सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन की प्रक्रिया पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है।"रिपोर्ट का पैरा 119 ए पृष्ठ 383

22. पौडयाल(सुप्रा) में यह बार.बार माना गया था कि वोटों के मूल्य की पूर्ण अंकगणितीय समानताए लोकतंत्र की संवैधानिक रूप से अनिवार्य अनिवार्यता नहीं है और दूसरी बात यह है कि भले ही लागू प्रावधानए सहिष्णुता सीमा और संवैधानिक रूप से अनुमत अक्षांशों से विचलन करते हों लेकिन सिक्किम के राजनीतिक संस्थानों के विकास की विशेषता और विशिष्ट ऐतिहासिक विचारों के आधार पर उत्पन्न होने वाले भेदभाव उचित हैं।

23. इस मामले में जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक संस्थाओं के विकास के बारे में भी यही सच है। पौडयाल के मामले में पैरा 126 में इस स्थिति को फिर से निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया है. सवेधानिक योजना की जांच से संकेत मिलता है कि ष्एक व्यक्ति एक वोटष् की अवधारणा अपने स्वभाव में ही असंतुलन और बहुत सख्त अनुप्रयोग और प्रवर्तन से विचलन के प्रति काफी सहिष्णु है। संविधान में प्रतिनिधित्व की आनुपातिकता का संकेत देने वाला प्रावधान आवश्यक रूप से एक व्यापकए सामान्य और तार्किक सिद्धांत है लेकिन अंकगणितीय परिशुद्धता के साथ

व्यक्त करने का इरादा नहीं हैण्ण्ण् प्रतिनिधित्व की गणितीय आनुपातिकता का सिद्धांत भारत के क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से में एक घोषित बुनियादी आवश्यकता नहीं है। समायोजन और समायोजनए को ध्यान में रखते हुए भारत के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक परिपक्वताए जागरूकता और राजनीतिक विकास की डिग्रीए देश के कुछ हिस्सों में पूर्ण या आंशिक रूप से गैर.निर्वाचित विधानसभाओं के लिए भी औचित्य प्रदान कर सकती है। विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक विकास और परिपक्वता की अलग.अलग डिग्री देश के गणितीय सटीकता के आधार पर मानकों को उचित नहीं ठहरा सकता। रिपोर्ट का पृष्ठ 385 द्ध

24. यहां तक कि न्यायमूर्ति एससी अग्रवाल जो आंशिक रूप से बहुमत से असहमत थे इस मामले के इस पहलू पर बहुमत की राय से सहमत हुए। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की परिकल्पना है कि मतदाताओं के वोटों के मूल्य में समानता होनी चाहिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए ऐसी समानता आदर्श होते हुए भी इसे प्राप्त करना कठिन है। इस लोकतांत्रिक रास्ते पर चलने वाली हर व्यवस्था में कुछ न कुछ विचलन होता है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के मामले मेंए अक्सर ऐसा होता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या दूसरे निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या से भिन्न होती है और परिणामस्वरूपए हालांकि दोनों निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्य का चुनाव करते हैंए कम जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक

के वोट का मूल्य अधिक जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों के वोट के मूल्य से अधिक हैण्ण्।रिपोर्ट का पैरा 182ए पृष्ठ 402

25. संविधान पीठ के फैसले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों के अवलोकन परए हमारी राय है कि वोट देने का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार हैए लेकिन ऐतिहासिक कारणों के आधार पर वैधानिक और संवैधानिक व्यवस्था की अवहेलना करते हुए परिसीमन प्रक्रिया के माध्यम से किसी के मतदाप अधिकार के एक समान मूल्य की मांग करनाए न्यायोचित अधिकार नहीं है।

26. इस प्रश्न के संदर्भ में हमें भाग ग्ट में चुनाव से संबंधित संवैधानिक योजना को ध्यान में रखना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 329ए का अधिदेश यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून पर किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

जम्मू.कश्मीर के संविधान की धारा 142 में समान प्रावधान किए गए हैं। धारा 142;एद्ध नीचे दी गई है.

> "142" चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक.इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी. विधान सभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन से क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के

परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधताए जो धारा 141 के तहत् बनाया गया है या बनाया जाने वाला हैए इसे किसी भी अदालत में विवादित नहीं किया जाएगा."

27. इसलिए यह स्पष्ट है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत बनाए गए परिसीमन कानून को दी जाने वाली किसी भी चुनौती पर स्पष्ट संवैधानिक रोक है। इसलिएए इस कार्यवाही में अपीलकर्ता की महत्वपूर्ण चुनौती पर इस न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रश्न का दूसरा पहलू यह है कि जम्मू.कश्मीर के संविधान की धारा 47;3द्ध में संशोधन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है। यह चुनौती किसी ठोस सिद्धांत पर भी आधारित नहीं है।

28. केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य और अन्य (1973) 4 एससीसी 225ए इस न्यायालय का निर्णय जिसने हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में बुनियादी संरचना की अवधारणा को जन्म दिया जो हमारे संविधान के साथ लगभग 25 वर्षों तक सक्रिय न्यायालय के रूप में कार्य करने की सहज प्रतिक्रिया है। इस न्यायालय ने महसूस किया कि संवैधानिक न्यायालय द्वारा इस तरह के रुख के अभाव में स्पष्ट प्रवृत्तियां हैं कि हमारे देश के लोकतांत्रिक बहुसंख्यकवाद की उथल.पुथल हमारे नवजात लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों को निगल सकती है। केशवानंद भारती

(सुप्रा) में निर्णय संभवतः भारतीय लोकतंत्र के विशाल महासागर में संभावित ज्वार की लहर के खिलाफ एक सहायक एहतियात है।

29. लेकिन हमें इस बात की स्पष्ट समझ होनी चाहिए कि मूल संरचना क्या है। यह परिभाषित करना जोखिमपूर्ण है कि संविधान की मूल संरचना क्या है क्योंकि जो मूल है वह आने वाले समय में स्थिर नहीं रहता है। हालांकिए इस न्यायालय की विभिन्न उदघोषणाओं से बुनियादी विशेषताएं स्पष्ट कर दी गई हैं। भारत के लघु संविधान के 14 वें संस्करण में डीडी बसु के अनुसार इन विशेषताओं को इस प्रकार नोट किया गया है. संविधान की सर्वोच्चता।

(a) कानून का शासन।

(b) शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत।

(c) सीद्ध मौलिक अधिकारों के पीछे के सिद्धांत।

(d) संविधान की प्रस्तावना में निर्दिष्ट उद्देश्य।

(e) न्यायिक समीक्षाय अनुच्छेद 32 ए अनुच्छेद 226 ध्227

(f) संघवाद

(h) संप्रभुए लोकतांत्रिकए गणतांत्रिक संरचना।

(i) व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा।

(j) राष्ट्र की एकता और अखंडता।

(k) समानता का सिद्धांतय समानता की प्रत्येक विशेषता नहींए बल्कि समान न्याय की सर्वोत्कृष्टता

(L) सार्वजनिक रोजगार में समानता का नियम।

(M) भाग ।।। में अन्य मौलिक अधिकारों का ष्सारष्।

(N) सामाजिक और आर्थिक न्याय की अवधारणा.एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करनाय भाग प्ट पूरी तरह से।

(O) मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन।

(P) सरकार की संसदीय प्रणाली।

(Q) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत।

(R) अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त संशोधन शक्ति पर सीमाएं।

(S) न्यायपालिका की स्वतंत्रताय लेकिन संविधान के चारों कोनों के भीतर रहते हुएए उससे परे नहीं।

(T) स्वतंत्र और कुशल न्यायिक प्रणाली।

(U) संविधान के अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां 32ए 136ए 141ए 142

(V) न्याय तक प्रभावी पहुंच।ष्

(देखें पृष्ठ 2236.2238)

30. इन विशेषताओं में से खंड;आर में वर्णित स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इस मामले में चर्चा किए गए प्रश्न के सबसे नजदीक आता है।

31. यह न्यायालय पहले ही पौड्याल (सुप्रा) में संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा कर चुका है कि वोटों के मूल्य में एकरूपता सुनिश्चित करना हमारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य अनिवार्यता नहीं है। अतः मूल संरचना के प्रश्न पर दिया गया तर्क भी निरर्थक है और अस्वीकार किया जाता है।

32. उपरोक्त वर्णित कारणों सेए यह न्यायालय अपील को गुणवत्तापूर्ण नहीं पाता है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

एन जे

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संजय कुमार (आरजेएस) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिएए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।